

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 500(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 9 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 1274 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार मणिपुर शिप्टिंग कल्टिवेटरस डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा मन्पी गांव इम्फाल जी पी ओ-795001, मणिपुर के पी0एन0बी0 सं0193 गृह, कम्मयूनिटी हॉल, विद्यालय भवन, हास्पिटल, इंडोर स्टेडियम, पशुओं के लिए शेड्स का निर्माण, फर्नीचर की खरीद और मन्पी गाँव की जनजातियों के लिए ग्रामीण कल्याण योजना को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम की तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मणिपुर शिप्टिंग कल्टिवेटरस डेवलपमेंट एसोसिएशन, द्वारा मन्पी गांव इम्फाल जीपीओ-795001, मणिपुर के पी0एन0बी0 सं0193 द्वारा चलाई जा रही गृह, कम्मयूनिटी हॉल, विद्यालय भवन, हास्पिटल, इंडोर स्टेडियम, पशुओं के लिए शेड्स का निर्माण फर्नीचर की खरीद और मन्पी गाँव की जनजातियों के लिए ग्रामीण कल्याण योजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात् 859.53 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।